**भारत सरकार**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**
**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 424**

**मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन पहल**

424. **श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः**
**डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः**
**श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः**
**श्री संजय दिना पाटीलः**
**श्रीमती सुप्रिया सुलेः**
**श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः**
**श्री अमर शरदराव कालेः**
**श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः**
**प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में भारतीयों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को भारत में वापस आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट पहल की है, यदि हां, तो इन पहलों और उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में वापस आने वाले स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे विनियामक बाधाएं, कर संरचनाएं या वित्तपोषण अंतराल और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में स्थानांतरित होने वाले स्टार्टअप और उद्यमियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें ये स्टार्टअप मुख्य रूप से संलग्न हैं;

(ङ) क्या पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत में वापस आने वाले स्टार्टअप द्वारा देश में निवेश लाया गया है;

(च) उनकी वापसी ने भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और समग्र अर्थव्यवस्था में किस सीमा तक योगदान दिया है; और

(छ) वैश्विक स्तर पर अन्य स्टार्टअप केंद्रों की तुलना में भारत को स्टार्टअप के लिए अधिक आकर्षक स्थान बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) और (ख):** व्यवसाय करने की अनुकूलता, निधीयन आकर्षित करने की क्षमता और अन्य व्यवसाय विशिष्ट कारक स्टार्टअप्स के लिए अपने देश में बने रहने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार ने वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत से विनियामक वातावरण को आसान बनाने तथा अनुकूल व्यावसायिक माहौल का निर्माण करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं।

विशेष रूप से, उदयीमान कंपनियों को पुन: मूल स्थान पर स्थापित करने (रिवर्स फ्लिपिंग) के उपायों में, हाल में सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल कर की समाप्ति की घोषणा शामिल है। सरकार ने कर व्यवस्था को आसान बनाने के लिए, विभिन्न प्रतिभूतियों में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर के सामंजस्य की शुरुआत भी की है।

इसके अलावा, इन-बाउंड सीमापार विलय प्रक्रिया को आसान बनाने तथा देश के बाहर निगमित धारित कंपनी के अपने पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी के साथ विलय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 25क में संशोधन किया गया है।

साथ ही, भारतीय स्टार्टअप्स को वापस लाने के लिए, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय उत्पादों को विकसित और विनियमित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को अधिसूचित किया है। ऑफशोर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा व्यवसाय को ऑनशोर करने तथा वैश्विक पूंजी प्रवाह के देश में आने और जाने के गेटवे के रूप में कार्य करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी का देश के भीतर विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा अधिकारक्षेत्र के रूप में विकास किया गया है। ऐसे उपायों के जरिए, आईएफएससीए भारतीय नवप्रयोग की ऑनशोरिंग को बढ़ावा देने अर्थात् वर्तमान में विदेश में स्थित भारतीय स्टार्टअप्स को स्वदेश में गिफ्ट सिटी में पुन: स्थापित करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्टार्टअप्स द्वारा देश में शुरुआत करने तथा व्यवसाय करने के लिए विशिष्ट उपाय किए हैं। ऐसे प्रमुख विशिष्ट सुधारों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

**(ग) से (च) :** सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ और गतिशील ईकोसिस्टम बनाने तथा देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की। सा.का.नि. 127 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न निकायों को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 55 से अधिक उद्योगों के 1,57,706 निकायों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से, 1.3 लाख से अधिक निकायों को पिछले पांच वर्षों यथा 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 के दौरान स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी गई है। विशेष रूप से, महाराष्ट्र में पिछले पांच वर्षों यथा 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 के दौरान 22,837 निकायों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी गई है।

विशेष रूप से भारत में पुन: स्थापित होने वाले स्टार्टअप और उद्यमियों तथा इन स्टार्टअप्स द्वारा लाए गए निवेश से संबंधित आंकड़े सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

**(छ) :** स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए निरंतर विभिन्न प्रयास करती है। प्रमुख स्कीमें, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस),स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती है। सरकार आवधिक प्रयासों और कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती है, जिसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम आधारित पहलों को भी प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है, जो हितधारकों के लिए नेटवर्क और सहयोग हेतु एक जीवंत प्लेटफार्म के रूप में कार्य करते हैं। बाजार पहुंच में सुधार लाने और स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में वृद्धि और उसे बढ़ाने में सहायता प्रदान करके सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाने के लिए भी पहलें शुरू की जाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और भास्कर, संसाधनों और स्टार्टअप ईकोसिस्टम तक पहुंच को आसान बनाते हैं। इन उपायों को विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम विकास के प्रयोजनार्थ अन्य कार्यक्रमों से सहयोग मिलता है। ऐसे उपाय भारत को स्टार्टअप गंतव्य के रूप में अधिक आकर्षक बना रहे हैं।

*****

**अनुबंध-I**

**दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 424 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सुधारों की सूची:

i. **विभेदक (डिफ्रेंशियल) मताधिकार (डीवीआर) :** निजी लिमिटेड कंपनी होने के नाते स्टार्टअप्स, पूंजी जुटाने के लिए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 4 में निहित किसी भी रोक के बिना, डीवीआर वाले इक्विटी शेयर जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि निजी लिमिटेड कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 और 47 को लागू किए जाने से छूट प्राप्त है (अधिसूचना संख्या 464(अ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से)।

ii. **जमा राशि:** सामान्यत: कंपनियां अपने सदस्यों से कोई भी जमा स्वीकार अथवा नवीनीकृत कर सकती हैं, जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि और प्रतिभूमि प्रीमियम राशि के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किन्तु स्टार्टअप्स अपने सदस्यों से बिना किसी सीमा के अपने निगमन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए जमा स्वीकार कर सकती हैं (कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (3) का दूसरा परंतुक)।

iii. **परिवर्तनीय नोट:** स्टार्टअप्स एक बार में एक व्यक्ति से 25 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि परिवर्तनीय नोट (इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय अथवा एक निश्चित अवधि, जो जारी किए जाने की तारीख से दस वर्ष से अधिक न हो, के भीतर भुगतान योग्य) के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तथा ऐसे लेन-देन को जमा राशि संबंधी नियमों के तहत जमा नहीं माना जाता है। (कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का नियम 2(1)(ग)(xvii))

iv. **स्वेट इक्विटी:** गैर-सूचीबद्ध कंपनियां किसी भी समय प्रदत्त पूंजी के 25 प्रतिशत तक स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकती हैं, जिसमें कुछ प्रतिबंध शामिल हैं। किन्तु स्टार्टअप कंपनी अपने निगमीकरण अथवा पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष तक की अवधि के लिए स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकती हैं, जो प्रदत्त पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (4) का दूसरा परंतुक)।

v. **कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) :** सामान्यत:, ईएसओपी ऐसे कर्मचारी को नहीं दिया जाता, जो प्रमोटर है अथवा प्रमोटर समूह से संबंधित है तथा ऐसा निदेशक जिसके पास स्वयं अथवा अपने संबंधी अथवा किसी कॉर्पोरेट के जरिए, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की इक्विटी का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। किन्तु स्टार्टअप के मामले में, निगमन की तारीख से दस वर्ष तक के लिए ऐसी शर्त लागू नहीं होगी (कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का नियम 12(1)(ग))।

vi. **नकदी प्रवाह संबंधी विवरण:** एक निजी कंपनी, जो स्टार्टअप/छोटी कंपनी है, उसके लिए वित्तीय विवरण में नकदी प्रवाह संबंधी विवरण को शामिल करना आवश्यक नहीं है, जो कि अन्य मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(40) के तहत अनिवार्य आवश्यकता है।

vii. **वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर:** स्टार्टअप कंपनियों/छोटी कंपनियों के मामले में, वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे अथवा जहां कंपनी सचिव नहीं है, वहां कंपनी के निदेशक के हस्ताक्षर होंगे। (अधिसूचना संख्या 583(अ) दिनांक 13.06.2017)

viii. **निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, 120 दिनों में कम से कम एक बार, वर्ष में चार बार, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक होनी अपेक्षित है। हालांकि, स्टार्टअप कंपनियों/छोटी कंपनियों के मामले में, कंपनी अधिनियम की धारा 173 (5) की अपेक्षाओं का अनुपालन

करने के लिए एक कैलेंडर वर्ष के छह माह में एक बार निदेशक मंडल की बैठक की जानी अपेक्षित है, जिसमें दो बैठकों के बीच 90 दिन से कम का अंतर नहीं होना चाहिए। (अधिसूचना संख्या 585 (अ) दिनांक 13.06.2017)

*****